# समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

रिवी 130 2-पीबीआर/14 पुनरीक्षण याचिका कमांक ............../2014

1- मुजफ्फर मोहम्मद खान आत्मज श्री मो.रजा खान,
आयु-वयस्क, निवासी-मं.नं.-4 कप्तान साहब का अहाता,
जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) कृषक ग्राम-चीचली,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.)

2- मुशर्रफ मोहम्मद खान आत्मज श्री मो.रजा खान,
आयु-वयस्क, निवासी-मं.नं.-4 कप्तान साहब का अहाता,
जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) कृषक ग्राम-चीचली,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.)

3- रूखसाना खॉन पत्नि मुशर्रफ मोहम्मद खान,
आयु-वयस्क, निवासी-मं.नं.-4 कप्तान साहब का अहाता,
जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) कृषक ग्राम-चीचली,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) ---------- **आवेदकगण**

**विरूद्ध**

कामता प्रसाद आत्मज श्री भैरूलाल,
आयु-वयस्क, जाति-गुजारातीं पाटीदार,
निवासी-ग्राम सलैया, तहसील-हुजूर,
जिला-भोपाल (म.प्र.) ---------- **अनावेदक**

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

## पुनिर्विलोकन आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-51 सहपठित धारा-32 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1302–पीबीआर/14 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 14–8–2014 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–<br>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>2 आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन | 14/8/14 |

का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष